"प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021"

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

प्रार्थी	ब नाम	अप्रार्थी
कंवरीदेवी पत्नी भगवान सहाय जाट सा. बानूड़ा तहसील धोद जिला सीकर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी

राजस्व प्रार्थना–पत्र = अन्तर्गत धारा 136 R.L.Act1956 शुद्वि बाबत

प्रार्थना–पत्र नम्बर 657/2021 **GCMS No.** 2021/737

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
15.11.2021	प्रार्थीया कंवरी देवी पत्नी भगवान सहाय जाट सा. बानूड़ा तहसील धोद जिला सीकर द्वारा दिनॉक 15.11.2021 को "प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 " कैम्प ग्राम पंचायत आनन्दपुरा में एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर चालू जमाबन्दी नकल सम्वत 2073–2076 ग्राम आनन्दपुरा पटवार मण्डल आनन्दपुरा के खाता नम्बर 158 खसरा नम्बर 112 रकबा 4.29 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम का प्रस्तुत कर कथन किया है प्रार्थी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि **भंवरीदेवी पत्नी भगवान सहाय जाट सा. बानूड़ा तहसील धोद जिला सीकर** दर्ज है, जो अशुद्व है। वादी का शुद्व नाम **कंवरी देवी पत्नी भगवान सहाय जाट सा. बानूड़ा तहसील धोद जिला सीकर है,** तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्व प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. .... आधारनम्बर 336345801801 मतदाता पहचान पत्र RJ/05//033/612296 अन्य दस्तावेज **बेचान दस्तावेज की छाया प्रति** की छाया प्रति प्रस्तुत की है। इस संबंध में हल्का पटवारी **आनन्दपुरा** भू.अ.नि **जिलिया** एवं तहसीलदार कुचामनसिटी से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होने वादी का उपरोक्तानुसार सुनवाई कर नाम एवं प्रविष्टि शुद्व किये जाने की अनुशंषा की है। प्रकरण का अवलोकन किया गया, राजस्व रेकार्ड में अशुद्व प्रविष्टि को शुद्व किये जाने बाबत प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है जिससे [illegible] जा सके तथा उक्त अशुद्वि कब हुई उस राजस्व रेकार्ड [illegible] इत्यादि भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नही की गई है [illegible] **RL Act1956** की श्रेणी में नही आता है, प्रार्थी नियमित वाद प्रस्तुत कर एवं आवश्यक द[illegible]त इत्यादि की नकले प्रस्तुत कर अनुतोष [illegible]प्त करने के लिए स[illegible]। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी साबित नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2022.02.01 12:35:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)